भा.कृ.अनु.प.–राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र
ICAR-NATIONAL RESEARCH CENTRE ON LITCHI
मुशहरी प्रक्षेत्र, मुशहरी, मुजफ्फरपुर– 842002 (बिहार)
Mushahari Farm, Mushahari, Muzaffarpur - 842002 (Bihar)
ईमेल आईडी / e-mail id:–director.nrcl@icar.gov.in/nrclitchi@yahoo.co.in
वैबसाइट Website: https://nrclitchi.icar.gov.in

सं.संख्या NRCL/2022-23/प्रक्षेत्र/12 दिनांक–08 जुलाई, 2022

सूचना

इस केन्द्र के शोधरत लोगंन के लगभग 52 पेड़ों के फल की प्रयोगोपरान्त नीलामी हेतु वर्ष 2022 के लिए इच्छुक खरीददारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ये पेड़ केन्द्र के मुशहरी प्रक्षेत्र पर स्थित हैं। इसके लिए निविदा पत्र संस्थान के कार्यालय से सोमवार से शनिवार (10:00 से 5:00 बजे) तक प्राप्त किया जा सकता है। अधिक जानकारी संस्थान की वेवसाइट nrclitchi.icar.gov.in पर उपलब्ध है और कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है

निविदा दिनांक 18.07.2022 अपराह्न 12:30 बजे तक जमा किया जायेगा एवं दिनांक 18.07.2022 को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 02:30 बजे को खोला जायेगा।

प्रक्षेत्र प्रभारी
सचिव प्र.प्र.स.
राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र,मुजफ्फरपुर

(लोंगन के फलों के लिए निविदा दर)

1. ठेकेदार का नामः

2. आधार कार्ड संः

3. पत्राचार का पताः ग्राम–

पोस्ट–

थाना–

जिला–

पिन कोड–

4. दूरभाष संख्या/मोबाईल संख्याः–

5. निविदा खुलने की तिथि एवं समय 18.07.2022 को 02:30 बजे अपराह्न

6. निविदा खुलने का स्थानः– समिति कक्ष, भा.कृ.अनु.प.–राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुशहरी, मुजफ्फरपुर

7. फल का विवरण : लोंगन

प्रक्षेत्र	प्रयोगात्मक लोंगन के पौधों	कुल पौधे	दर (दर साफ–साफ लिखें)	शब्दों में
राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुशहरी, मुजफ्फरपुर	लोंगन	52		
	कुल	52		

ठेकेदार का हस्ताक्षर :–

तिथि :–

मोबाईल नंः

निविदा हेतु नियम एवं शर्तेः–

1. सभी निविदा बन्द लिफाफा में भरा होना चाहिए एवं लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या–03/2022–2023 'लोंगन के फलों की नीलामी हेतु निविदा' लिखी होनी चाहिए। **निविदा कार्यालय के कक्ष में उपलब्ध निविदा बॉक्स में अंतिम तिथि एवं समय तक जमा किया जाएगा ।** अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय 18.07.2022 को 12:30 बजे तक है।

3. निविदा खुलने की तिथि एवं समय 18.07.2022 को अपराह्न 02:30 बजे से है।

4. **निविदा खुलना'** निविदा खुलने के समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा लिखित रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यालय परिसर में उपस्थित हो सकते है।

5. **भुगतान की विधि**–निविदा खुलने के उपरान्त सफल निविदाकर्ता को 100 प्रतिशत राशि जमा करने के बाद ही फल तुड़ाई करने की अनुमति दी जाएगी। पूर्ण राशि के भुगतान के बिना फल तोड़ने की अनुमति प्रदान नही की जायेगी। संस्थान के खाते में बैंक के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। नकद राशि स्वीकार नही की जायेगी।

6. संस्थान द्वारा निर्धारित आधार मूल्य से कम राशि प्राप्त होने की स्थिति में उसी समय समिति के समक्ष ही पुनः बन्द निविदा की प्रक्रिया भी की जा सकती है।

7. निविदा स्वीकार करने का अधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु.प.–राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र मुजफ्फरपुर, को शर्त के अनुरूप किसी भी निविदा को स्वीकृत करने/रद्द करने का पूर्णतया अधिकार होगा। पूरी निविदा, निविदा के किसी भी भाग को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक को सुरक्षित होगा।

8. **मध्यस्तता**–किसी प्रकार के निविदा से संबंधित विवादों, मतभेदों के निराकरण हेतु भा.कृ.अनु.प.–राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर, (बिहार) को प्रेषित किया जा सकता है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर (बिहार) का निर्णय किसी भी पक्ष के लिए अंतिम रूप से मान्य होगा।

9. **सुरक्षा व्यवस्था**–सफल निविदाकर्ता को फलों की सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। चोरी, फसल की बर्बादी, कीट एवं रोग का प्रकोप, प्राकृतिक विनाश/आपदा अथवा किसी अप्रत्याशित कारणवश क्षति के लिए यह केन्द्र जिम्मेदार नही होगा एवं इस प्रकार के आवेदन के ऊपर विचार नही किया जायगा।

10. फसल उपचार–ठेकेदार विभिन्न प्रखण्डों के पौधों की सिंचाई, कीटनाशकों का प्रयोग एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग संबंधित वैज्ञानिक से मिलकर एवं लिखित राय लेकर कर सकते हैं।

11. प्रक्षेत्र प्रभारी एवं सम्बन्धित वैज्ञानिकों की निगरानी में ठेकेदार को अपने श्रमिकों द्वारा फल की तुड़ाई पेड़ो से करनी होगी। तुड़ाई कार्य प्रातः 07:00 से 04:30 बजे अपराह्न तक कार्य दिवसों में प्रक्षेत्र प्रभारी एवं संम्बधित ब्लॉक वैज्ञानिक के निर्देशानुसार ही करनी होगी।

12. फलों की तुड़ाई करते समय लीची एवं लोंगन के किसी भी पौधे को क्षति नहीं होनी चाहिए।

13. फलों की तुड़ाई का कार्य आकार के आधार पर नहीं बल्कि पकने की वास्तविक स्थिति पर करना होगा तथा इस विषय पर केन्द्र के वैज्ञानिकों की राय अंतिम होगी।

14. प्रत्येक पौधों की उपज (अनुसंधान के उद्देश्य हेतु) केन्द्र के वैज्ञानिकों/तकनीशियन/प्रतिनिधि अंकित करेंगे।

15. लोंगन परीक्षण में संबंधित वैज्ञानिक द्वारा तुड़ाई के समय दिये जाने वाले निर्देशों को मानना अनिवार्य होगा।

16. संबंधित ब्लॉकों के वैज्ञानिको एवं प्रक्षेत्र प्रभारी को पेड़ो के निरीक्षण एवं परीक्षण हेतु फलों का नमूना (sample) एकत्रित/लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।

17. फलों की तुड़ाई, रख रखाव एवं ढुलाई की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

18. ठेका अवधि नीलामी की 100 प्रतिशित राशि जमा करने के साथ ही प्रारम्भ होगी एवं फलों की तुड़ाई समाप्त होते ही समाप्त होगी।

19. प्रक्षेत्र के अन्य कार्य (तकनीकी/तुड़ाई) इत्यादि हेतु संबंधित वैज्ञानिक/प्रक्षेत्र प्रभारी से संपर्क करने के उपरान्त ही तुड़ाई करने की अनुमति होगी।
20. सभी विवादों के निपटारों का क्षेत्र मुजफ्फरपुर में होगा।

21. ठेकेदार फलों की सुरक्षा हेतु प्रर्याप्त संख्या में सुरक्षा प्रहरी/व्यक्ति प्रक्षेत्र के अन्दर रख सकेगें। जिसकी जानकारी केन्द्र को पहले ही दे देनी होगी। सुरक्षा प्रहरी में तैनात व्यक्तियों का पूरा विवरण फोटो, नाम, पता का परिचय पत्र/आधार कार्ड/वोटर आई कार्ड/ की प्रति कार्यालय में जमा करना होगा।

22. फलों की तुड़ाई हेतु ठेकेदार द्वारा रात्रि में श्रमिकों का ठहराव प्रक्षेत्र के अन्दर मान्य नहीं होगा।

23. लोंगन के चिन्हित फल वृक्ष, डालियों, टहनियों (Tagged and Marked Plants, Branches and Twings/Shoots) में फलों की तुड़ाई वैज्ञानिको की उपस्थिति में करना अनिवार्य होगा।

24. फलों की तुड़ाई में किसी भी प्रकार से शाखाओं एवं टहनियों, प्रयोग के दृष्टि से लगाये गये निशान, टैगिंग (tagging), आदि की क्षति व नुकसान नहीं होनी चाहिए।

25. नोटः प्रति पौधा 100 लोंगन के फलों का नमूना (Sample) परीक्षण के लिए आवश्यकतानुसार संबंधित वैज्ञानिकों के द्वारा समय–समय पर तुड़ाई के पहले या तुड़ाई के समय पर लिया जायेगा जिसके लिए अनुसंधान केन्द्र से कोई मूल्य नहीं दिया जायेगा इसमें ठेकेदार के द्वारा कोई आपति मान्य नहीं होगी।

26. प्रशासनिक कार्य हेतु अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क किया जा सकता है।

27. तुड़ाई के लिए लगाए गए श्रमिकों की आयु अनिवार्य रूप से 14 (चौदह) वर्ष के उपर होनी चाहिए।

28. प्रक्षेत्र प्रभारी द्वारा दिये गये गेट पास के बिना संस्थान से लोंगन ले जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

29. किसी भी विषय से संबंधित सर्वाधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु.प.–राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर को सुरक्षित होगा।

प्रक्षेत्र प्रभारी
राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर

<u>उपर लिखे सभी नियम एवं शर्ते मुझे पूरी–पूरी मान्य है।</u>

ठेकेदार के हस्ताक्षर

तिथि :

सम्पूर्ण डाक पता एवं मुहर :

(दूरभाष संख्या)